

पटना में दिनांक-02 सितम्बर, 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत नवस्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में 10+2 तक के नये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल-1800 पदों के सृजन की स्वीकृति। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

अनु०जाति एवं अनु०जन जाति कल्याण विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 2. | राज्य स्कीम मद से डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल ₹65,80,11,000/- (पैंसठ करोड़ अस्सी लाख ग्यारह हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। | 2. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत दो (02) नये प्रशाखा यथा-सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रशाखा तथा लेखा एवं बजट प्रशाखा का गठन एवं कुल 25 (पच्चीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 4. | भूमि संरक्षण निदेशालय (कृषि विभाग) बिहार, पटना के लिए स्वीकृत सांख्यिकी सहायक का एक पद एवं कनीय अभियंता का 46 पद कुल 47 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

खेल विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल अवसंरचना निर्माण हेतु पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 (सौ) एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु कुल ₹5,74,33,90,125/- (पाँच सौ चौहत्तर करोड़ तैंतीस लाख नब्बे हजार एक सौ पच्चीस रूपये) मात्र के स्वीकृति एवं राशि के बजटीय उपबंध के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

पथ निर्माण विभाग

6. पटना में गंगा नदी के किनारे 'जे०पी०गंगा पथ' (दीघा से दीदारगंज, कुल लंबाई 20.5 कि०मी०) के निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन, यूटिलिटी शीफ्टिंग (utility Shifting), EMP, R&R इत्यादि सहित कुल ₹411906.00 लाख (चार हजार एक सौ उन्नीस करोड़ छः लाख) मात्र के अनुमानित लागत पर तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

6. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

7. एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित BSHP-III (Phase-2) के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या-95 (मानसी-सहरसा-हरदी-चौधरा) पथ के मानसी-फन्नो हॉल्ट मिसिंग लिंक पथांश (सेक्शन-1) के चैनेज कि०मी० 0.00 से 14.11 में पुल-पुलिया एवं आर०ओ०बी० निर्माण कार्य सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क (2-लेन पेभड सोल्डर) के साथ उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु कुल 765.8656079 करोड़ (सात सौ पैंसठ करोड़ छियासी लाख छप्पन हजार उनासी) रुपये के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

7. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

8. एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित BSHP-III (Phase-2) के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या-95 (मानसी-सहरसा-हरदी-चौधरा) पथ के फन्नो हॉल्ट से NH-107 सिमरी-बख्तियारपुर तक के चैनेज कि०मी० 14.11 से 28.075 में पुल/पुलिया एवं आर०ओ०बी० निर्माण कार्य सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क (2-लेन paved Shoulder) के साथ पथ का उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु कुल 213.5536807 करोड़ (दो सौ तेरह करोड़ पचपन लाख छत्तीस हजार आठ सौ सात) रुपये के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

8. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

9. मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम०एस०टी०सी० लि०) को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-131 (zz) के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, उपक्रमों एवं अन्य संस्थानों में उपयोग के पश्चात् भंडारित अनुपयोगी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ई-अपशिष्ट) की विक्री हेतु ई निलामी प्रक्रिया के लिए नामांकन के आधार पर विक्रय अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत करने की स्वीकृति।

9. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2025-26 से केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन एवं योजनान्तर्गत राज्य के अन्तर्गत सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति की कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रु0 2,31,67,00,000/- (रु0 दो सौ इकतीस करोड़ सरसठ लाख) मात्र की स्वीकृति, योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने, केन्द्र प्रायोजित योजना से अनाच्छादित रह जाने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023 से आच्छादित किये जाने एवं उक्त हद तक विभागीय संकल्प सं0-673, दिनांक-23.03.2023 के संशोधन की स्वीकृति।

10. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2025-26 से केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का संचालन, योजनान्तर्गत राज्य के अन्तर्गत सरकारी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-समय पर निर्धारित छात्रवृत्ति दर पर छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने, कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रु0 55,50,00,000/- (रु0 पचपन करोड़ पचास लाख) मात्र, केन्द्र प्रायोजित योजना से अनाच्छादित रह जाने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने, योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने तथा उक्त हद तक विभागीय संकल्प सं0-67, दिनांक- 10.01.2023 के संशोधन की स्वीकृति।

11. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

12. 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, महुआर, बिहटा, पटना के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन रु0 58,07,20,000/- (रु0 अठावन करोड़ सात लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

12. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

13. सारण जिलान्तर्गत 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-55 दिनांक-28.12.2017 के द्वारा प्राक्कलन राशि रु० 25,64,00,000/- (रु० पचीस करोड़ चौसठ लाख) मात्र तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-62 दिनांक-18.08.2022 के द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि रु० 50,36,51,000/- (रु० पचास करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार) मात्र पर दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द करते हुए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना से नये सिरों से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन रु० 61,20,34,000/- (रु० इक्कसठ करोड़ बीस लाख चौतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

13. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

14. डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना के शेष 03 गैलरियों तथा एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम्स, कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स, कोलकाता को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-131 (द) के अनुसार नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा ब्रैंडिंग साईनेज हेतु स्वीकृत ₹5.05 करोड़ के अधीन कार्य कराने हेतु अलग से निविदा आमंत्रित करने के संबंध में।

14. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

15. भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली 1986 में संशोधन एवं संलग्न अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

15. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन)

16. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत औद्योगिक ईकाईयों की उच्च प्राथमिकता कोटि से संबंधित आई०डी०ए०/बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि एवं उक्त कोटि में औद्योगिक भूमि/शेड के लीज/बिक्री/अंतरण पर देय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में छूट की अवधि को नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति अधिसूचित होने तक विस्तारित करने के संबंध में।

16. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन)

17. नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के माध्यम से डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्जीक्यूसन (डीडीई) सेवा राज्य में लागू करने हेतु मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (एमओयू) पर स्वीकृति के संबंध में।

17. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 18. | जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 में संशोधन करते हुए "बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025" बनाने के संबंध में। | 18. स्वीकृत। |
|-----|--|--------------|

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 19. | पटना जिलान्तर्गत अंचल-पुनपुन के मौजा-धरहरा, थाना सं०-41, एवं मौजा-पोठही, थाना सं०-42, के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा-38.77 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-1) कृषि विभाग, बिहार, पटना की स्वामित्व की भूमि पर बिहार ज्यूडिशियल एकेडमी की स्थापना हेतु विधि विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। | 19. स्वीकृत। |
|-----|--|--------------|

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 20. | बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में। | 20. स्वीकृत। |
|-----|---|--------------|

विधि विभाग

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 21. | "बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025" को अधिसूचित किए जाने के संबंध में। | 21. स्वीकृत। |
|-----|---|--------------|

विधि विभाग

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 22. | विधि विभाग, बिहार, पटना एवं संलग्न कार्यालयों (महाधिवक्ता कार्यालय को छोड़कर) के अनुसचिवीय कोटि के कुल 34 (चौत्तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 22. स्वीकृत। |
|-----|--|--------------|

विधि विभाग

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 23. | माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में 'सुवास सेल' हेतु सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 02 पद, आशुलिपिक के 03 पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-टंकक के 04 पद, कार्यालय परिचारी के 04 पद तथा स्वीपर के 02 पद अर्थात् कुल 15 पदों के सृजन के संबंध में। | 23. स्वीकृत। |
|-----|--|--------------|

वित्त विभाग

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 24. | आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता (अधिकतम रु० 25,000/-, जिसपर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा) की स्वीकृति के संबंध में। | 24. स्वीकृत। |
|-----|---|--------------|

वित्त विभाग

25. बिहार अमीन संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतन संरचना एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में। 25. स्वीकृत।

वित्त विभाग

26. बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 मार्च, 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर ₹12675.80 करोड़ (बारह हजार छह सौ पचहत्तर करोड़ अस्सी लाख रुपये) करने के संबंध में। 26. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

27. बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के नियम-9 की उप नियम-(4) एवं नियम-10 का प्रतिस्थापन तथा नियम-9 में उप नियम-(5), (6) एवं (7) को जोड़े जाने के निमित्त बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में। 27. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

28. बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के नियम-9 की उप नियम-(3) एवं नियम-10 का प्रतिस्थापन तथा नियम-9 में उप नियम-(4), (5) एवं (6) को जोड़े जाने के निमित्त बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में। 28. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

29. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 46 (छियालीस) राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों/संकायों के लिए कुल-177 (एक सौ सतहत्तर) शैक्षणिक पदों (विभागाध्यक्ष-6 एवं व्याख्याता-171) के अतिरिक्त सृजन एवं कुल-44 (चौवालीस) शैक्षणिक पदों (विभागाध्यक्ष-04 एवं व्याख्याता-40) के प्रत्यर्पण की स्वीकृति के संबंध में। 29. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

30. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदण्ड एवं संवर्ग संरचना के अनुसार विभागान्तर्गत कुल-38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में आवश्यक विभिन्न कोटि के पदों के कुल-237 (दो सौ सैंतीस) यथा (प्राध्यापक-23, सह-प्राध्यापक-64 एवं सहायक प्राध्यापक-150) अतिरिक्त तकनीकी शैक्षणिक पदों का सृजन तथा 192 (एक सौ बानवे) यथा (प्राध्यापक-04, सह-प्राध्यापक-24 एवं सहायक प्राध्यापक-164) अप्रसांगिक तकनीकी शैक्षणिक पदों का प्रत्यर्पण करने की स्वीकृति के संबंध में। 30. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

31. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों) संशोधन नियमावली, 2025 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

31. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

32. किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल, और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

32. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

33. अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में।

33. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

34. बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 के अनुमोदन के संबंध में।

34. स्वीकृत।

गृह विभाग

(अभियोजन निदेशालय)

35. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के लागू होने के फलस्वरूप अभियोजन संवर्ग के सुदृढीकरण के निमित्त बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटि एवं अधीनस्थ संवर्ग के कुल 760 (सात सौ साठ) पदों के सृजन, 18 (अठारह) सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पदों का विलोपन एवं अभियोजन सेवा के विभिन्न कोटि के पदों के पदनामों में परिवर्तन के संबंध में।

35. स्वीकृत।

गृह विभाग

(सैनिक कल्याण निदेशालय)

36. बिहार राज्य के पूर्व से स्थापित 13 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी एवं 12 नवसृजित जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के संचालन हेतु जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य अनुसचिवीय पदों के सृजन के संबंध में।

36. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

37. मादक पदार्थों एवं ड्रग्स से संबंधित मामलों के क्षेत्राधिकार का आर्थिक अपराध इकाई से तथा मद्यनिषेध इकाई को अपराध अनुसंधान विभाग से पृथक कर संयुक्त रूप से "मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" का गठन करने तथा इसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 88 (अट्ठासी) नये पदों का सृजन, विभिन्न कोटि के 12 (बारह) पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन एवं पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 229 (दो सौ उनतीस) पदों को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

37. स्वीकृत।

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

38. बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता/प्रशिक्षण भत्ता ₹774 (सात सौ चौहत्तर रूपए) प्रत्येक कार्य दिवस प्रति गृह रक्षक से बढ़ाकर बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप ₹1,121 (एक हजार एक सौ इक्कीस रूपए) करने के संबंध में।

38. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

39. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण तथा इन कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश मद में प्राप्त राशि अपर्याप्त होने पर इसे राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

39. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

40. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण तथा इन कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश मद में प्राप्त राशि अपर्याप्त होने पर इसे राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

40. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

42. राज्य में चिकित्सा प्रक्षेत्र के सभी विधाओं में इन्टर्नशिप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की स्वीकृति।

42. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

43. तकनीकी सहायक एवं लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक का मानदेय दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से वृद्धि किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

43. स्वीकृत।

खेल विभाग

44. राज्य खेल अकादमी-सह-अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर में वर्तमान में निर्माणाधीन केवल अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) के द्वारा बिहार राज्य हेतु संबद्धता प्राप्त संस्था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बी.सी.ए.) को रख रखाव एवं संचालन हेतु सौंपने की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।
44. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

45. बिहार राज्य के योजना शीर्ष नाबार्ड ऋण संपोषित राज्य योजनान्तर्गत लखीसराय जिला के कार्य प्रमंडल लखीसराय अंतर्गत सूर्यगढ़ा प्रखण्ड के अधीन "वंशीपुर पंचायत के बजरंगवली घाट (चाई टोला) रोड पर किउल नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य" की कुल प्राक्कलित राशि 3548.600 लाख रुपया (पैंतीस करोड़ अड़तालीस लाख साठ हजार रुपया) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।
45. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

46. बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के तहत केन्द्रांश की प्रत्याशा में विभाग द्वारा कराये गये कार्यों के विरुद्ध सी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य के केन्द्रांश मद, विपत्र कोड 49-4711010510212 के बजटीय उपबंध 200.00 करोड़ रु० (दो सौ करोड़ रुपये) में से 113.43 करोड़ रु० (एक सौ तेरह करोड़ तैंतालीस लाख रुपये) तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के केन्द्रांश मद (49-4711-01-051-0209) एवं राज्यांश मद (49-4711-01-051-0309) के रूप में उपलब्ध कुल बजटीय उपबंध 1893.05 करोड़ रु० (अठारह सौ तिरान्चे करोड़ पाँच लाख रुपये) में से 450.00 करोड़ रु० (चार सौ पचास करोड़ रुपये) का उपयोग एवं निकासी व्ययन की स्वीकृति के संबंध में।
46. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

47. "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 42 के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि की अधिसीमा में वृद्धि होने की स्थिति में 20000.00 करोड़ (बीस हजार करोड़) रुपये की राशि की अधिसीमा तक बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं वित्त विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
47. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

48. मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गंडक नदी पर फतेहाबाद (पारो ब्लॉक) से चंचलिया (सरैया ब्लॉक) तक उच्चस्तरीय पी.एस.सी. बॉक्स सेल सुपरस्ट्रक्चर मेन पुल (स्पेन 38x60मी०) एवं पहुंच पथ में 3 अद्द (5x30मी०) पी०एस०सी० सुपरस्ट्रक्चर पुल निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹58904.78 लाख (रूपये पांच सौ नवासी करोड़ चार लाख अठहत्तर हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

48. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

49. ग्राम कचहरी सचिव को वर्तमान में देय नियत (मासिक) मानदेय ₹6000 (छः हजार रुपये) को बढ़ाकर दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से ₹9000 (नौ हजार रुपये) किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

49. स्वीकृत।